

कार्यालय सहायक अभियन्ता  
निर्माण खण्ड-1(ता0ट्रि0), लो0नि0वि0, आगरा

पत्रांक: 028/ NBL

दिनांक: 05/04/22

सेवामें

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी,  
आगरा।

विषय-जनहित याचिका सं0 483/04 अवनीश मेहरोत्रा बनाम यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया व अन्य में पारित माननीय सर्वोच्च न्यायालय आदेश दिनांक 12.04.09 को अनुपालन किये जाने के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ-आपका पत्रांक 10289-89/2019-20 दिनांक 07.09.2019 एवं प्रबन्धक के0एस0वाई0 कालेज पथौली का पत्रांक 0014 दिनांक 26.03.2022

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्रांक के अनुपालन में श्री के0एस0वाई0कालेज पथौली, आगरा का निरीक्षण कर जाँच आख्या प्रमाण पत्र सहित आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है।

संलग्न-उपरोक्तानुसार

*NBS 05/04/22*  
(वाई0बी0शर्मा)  
सहायक अभियन्ता  
निर्माण खण्ड-1(ता0ट्रि0), लो0नि0वि0,  
आगरा

सहायक अभियन्ता  
निर्माण खण्ड-1(ता. ट्रि.)  
लोक निर्माण विभाग, आगरा

## प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि श्री के०एस०वाई कालेज पथौली, आगरा का स्थलीय निरीक्षण दिनांक 04.04.2022 को किया गया। विद्यालय का भवन नेशनल बिल्डिंग कोड 2005 में प्रावैधानिक सुरक्षा मानकों के अनुरूप है। विद्यालय भवन सुरक्षित, मजबूत एवं भूकम्प रोधी है। किसी प्रकार के परिवर्तन अथवा बदलाव किये जाने पर यह प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा।

*Yash*  
*04/04/22*  
(वाई०बी०शर्मा)

सहायक अभियन्ता

*12/04*  
निर्माण खण्ड-1(ता०ट्रि०), लो०नि०वि०,  
आगरा

सहायक अभियन्ता  
निर्माण खण्ड-1(ता. ट्रि.)  
लोक निर्माण विभाग, आगरा